

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिमा/बांका/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/गोपालगंज/
सारण (छपरा)/मधुबनी/दरभंगा/समस्तीपुर/बेगूसराय/
सुपौल/किशनगंज/जमुई/मुंगेर/खगड़िया/लखीसराय/
शेखपुरा/नालन्दा/पटना/भोजपुर/रोहतास एवं नवादा।

पटना, दिनांक अगस्त, 2016

विषय:- विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य अवसरों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त अधियाचित राशि का आवंटन।
प्रसंग :- निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2482, दिनांक 19.05.2016 एवं पत्रांक-2746, दिनांक 17.06.2016 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2015 के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों के लंबित मुआवजा भुगतान हेतु पत्र के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार प्रासंगिक विपत्र कोड के अंतर्गत वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में कुल अधियाचित राशि ₹ 11,75,44,000 (ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख चौबालीस हजार ₹0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना की मांग सं0-22 मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009- प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

12. वांछित डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र छह माह के अंदर समर्पित किया जाये।

13. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

अनुलग्नक-विवरणी-।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-15/2016गृ0आ0.....पटना, दिनांक अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया/बांका/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/गोपालगंज/सारण (छपरा)/मधुबनी/दरभंगा/समस्तीपुर/बेगूसराय/सुपौल/किशनगंज/जमुई/मुंगेर/खगड़िया/लखीसराय/शेखपुरा/नालन्दा/पटना/भोजपुर/रोहतास एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- विवरणी-।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-15/2016गृ0आ0.....पटना, दिनांक अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/पूर्णिया/मुंगेर/तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर तथा मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- विवरणी-।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-15/2016गृ0आ0.....²⁵.....पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक-2482, दिनांक 19.05.2016 एवं पत्रांक-2746, दिनांक 17.06.2016 के प्रसंग में/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना एवं आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- विवरणी-।



सरकार के प्रधान सचिव

10.8.16

विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना के मांग सं0-22 तथा मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009-प्रतिनियुक्ति अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय विषय शीर्ष 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत आवंटित राशि का जिलावार विवरण :-

क्र0	जिला का नाम	13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव
1	2	3
1	पूर्णियाँ	6335000.00
2	बांका	2287000.00
3	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	4861000.00
4	गोपालगंज	2666000.00
5	सारण, छपरा	17919000.00
6	मधुबनी	9120000.00
7	दरभंगा	176000.00
8	समस्तीपुर	17960000.00
9	बेगूसराय	1388000.00
10	सुपौल	4342000.00
11	किशनगंज	371000.00
12	जमुई	7166000.00
13	मुंगेर	5566000.00
14	खगड़िया	5558000.00
15	लखीसराय	2336000.00
16	शेखपुरा	1172000.00
17	नालन्दा	882000.00
18	पटना	4214000.00
19	भोजपुर	9001000.00
20	रोहतास	6324000.00
21	नवादा	7900000.00
	कुल	117544000.00

(ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख चौबालीस हजार रू0) मात्र



(आमिर सुबहानी) 5.8.16
सरकार के प्रधान सचिव